

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वत्सव भवन-भोपाल- 462004
=====

क्रमांक- एच-73/17/20-5/2002, भोपाल, दिनांक 13/6/02

प्रति,

साँचव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल,
नई दिल्ली

विषय:-

अशासकीय सेंट जोसेफ कान्वेंट {अग्रिजी माध्यम} हायर सेकेण्ड्री स्कूल राईी जबलपुर को सी. बी. एस. सी. से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र बाबत ।

=====

राज्य शासन द्वारा अशासकीय सेंट जोसेफ कान्वेंट {अग्रिजी माध्यम} हायर सेकेण्ड्री स्कूल राईी जबलपुर को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया जाता है ।

- 1/ संस्था की अपनी समिति में एक प्रतिनिधि जिला- शिक्षा अधिकारी को स्वयं को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना होगा। तथा दूसरे प्रतिनिधि के रूप में माध्यमिक शिक्षा मंडल के वजीयक {वरीक्षा} को या उनके प्रतिनिधि को शामिल करना अनिवार्य होगा ।
- 2/ नीतिगत निर्णयों में इन दोनों मनोनीत सदस्यों को आमंत्रित करना अनिवार्य होगा ।
- 3/ म. प्र. शासन द्वारा शिक्षा के प्रसार-प्रचार के लिये लिये गये निर्णयों में यदि संस्था के किन्हीं कार्यों की ~~सहायता~~ अपेक्षा की जाती है। तो ऐसे क कार्य को संस्था को करना अनिवार्य होगा ।
- 4/ खेल्द गतिविधियों में यदि संस्था चाहे तो सदस्यता ग्रहण कर सकता है । परंतु ऐसा न होने पर भी यदि म. प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग को इनके किसी खेल् परिसर या भवन की आवश्यकता पड़ती है तो उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।
- 5/ राष्ट्रीय कार्यक्रमों को संचालित करने के लिये यदि संस्था का भवन या स्टाफ की सेवाओं की आवश्यकता होगी तो इन्हें उपलब्ध कराना अनिवार्य

होगा ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

॥ ए. के. जैन ॥

उप सचिव


मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पु0क्रं0एफ-73/17/20-5/2002,

भोपाल, दिनांक 13-6-2002

प्रतिलिपि:-

- 1/ आयुक्त, लोक शिक्षण म. प्र. भोपाल की ओर क्रमांक- विधा/पी./9/02 दिनांक 29.5.02 के संदर्भ में सूचनार्थ ।
- 2/ जिला शिक्षा अधिकारी जबलपुर ।
- 3/ प्राचार्य सेंट जोसेफ कान्वेंट ॥ अंग्रेजी माध्यम ॥ हायर सेकेंड्री स्कूल रांझी जबलपुर । की ओर सूचनार्थ प्रेषित ह । ✓



उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग